राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी : श्री पंकज बड़गुर्जर (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू :	निर्णय दिनांक/ 4.12.23
356 / 22	01.09.2022	

उनवानः

1. छोटेलाल पुत्र श्री भोलाराम जाति अहीर निवसी ग्राम बीरनवास तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0

बनाम .....वादी

1. शिवदत्त पुत्र कालू जाति अहीर
2. सत्यवीर पुत्र कालू जाति अहीर
3. अनुपसिंह पुत्र यादराम जाति अहीर
4. तरूण पुत्र इन्द्रजीत जाति अहीर
5. दीपक पुत्र इन्द्रजीत जाति अहीर प्रतिवादी सं0 4 व 5 नाबालिंग जरिये सरपरस्त माता श्रीमती किरोस्ता देवी पत्नी इन्द्रजीत खुद
6. मंजीता पुत्री छाजुराम जाति अहीर
7. मनीषा पुत्री छाजुराम जाति अहीर
8. संदीप कुमार पुत्र छाजुराम जाति अहीर
9. यादराम पुत्र बीरबल जाति अहीर
10. ललीत कुमार पुत्र पवन कुमार जाति अहीर नाबालिंग जरिये सरपरस्त माता श्रीमती कविता देवी पत्नी पवन कुमार खुद।
11. शेरसिंह पुत्र किशनलाल जाति अहीर
12. अंगूरी पत्नी श्री गंगादीन जाति ब्राहम्ण
13. कपिल शर्मा पुत्र रामनिवास पुत्र झुथर जाति ब्राहम्ण
14. ज्योति शर्मा पुत्री रामनिवास पुत्र झुथर जाति ब्राहम्ण
15. पवनं शर्मा पुत्र रामनिवास पुत्र झुथर जाति ब्राहम्ण
16. मालती शर्मा पत्नी रामनिवास पुत्र झुथर जाति ब्राहम्ण
17. सुनील शर्मा पुत्ररामनिवास पुत्र झुथर जाति ब्राहम्ण
18. सत्यनारायण शर्मा पुत्र गंगादीन जाति ब्राहम्ण
19. औमप्रकाश पुत्र झुथाराम जाति अहीर
20. रोहिताश्व पुत्र झुथाराम जाति अहीर
21. सीताराम पुत्र झुथाराम जाति अहीर
22. आशा पुत्री रामनिवास पुत्र झुथर जाति अहीर
23. मुकेश पुत्र गंगादीन जाति अहीर
24. रगबीर पुत्र मातादीन जाति ब्राहम्ण
25. रामौतार पुत्र मातादीन जाति ब्राहम्ण
26. राजाराम पुत्र गंगादीन जाति ब्राहम्ण सभी निवासी ग्राम बीरनवास तह0 नीमराना ज़िला कोटपूतली–बहरोड राज0।
27. रतन पुत्र भीमसिंह जाति अहीर निवासी नयागांव बीबीरानी के पास तह0 कोटकासिम जिला खैरथल राज0 ।
28. चिरंजी पुत्र भीमसिंह, जाति अहीर निवासी नयागांव बीबीरानी के पास तह0 कोटकासिम जिला खैरथल राज0 ।
29. उप पंजीयक महोदय नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
30. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड राज0।
31. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

.....प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

दावा इस्तकरार हक, दुरूस्ती इन्द्राजात एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी।

उपस्थितीः— श्री मकरध्वज शर्मा योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से

:: निर्णय ::

वादी द्वारा पेश दावा के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर हाल 1239 रकबा 0.47 है0 वाके ग्राम बीरनवास तह0 नीमराना मे स्थित है जो साबिक खसरा नम्बर 891 रकबा 2 बीघा 06 बिस्वा से कायम हुआ है । मिन वादी के खसरा नम्बर 1239 का रकबा साबिक खसरा नम्बर 891 रकबा 2 बिघा 6 बिस्वा के मुताबिक 0.58 है0 कायम होना चाहिऐ था लेकिन बन्दोबस्त संवत 2042 मे बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियो द्वारा गलती व लापरवाही से बिना साबिक रकबा के मुताबिक गणना किये ही 11 एयर रकबा कम करते हुये 47 एयर दर्ज कर दिया गया।

तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 के खसरा नम्बर हाल 1240 का रकबा साबिक खसरा नम्बर 892 रकबा 1 बिघा 2 बिस्वा के मुताबिक 0.28 है0 कायम होना चाहिऐ था लेकिन बन्दोबस्त संवत 2042 मे बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियो द्वारा गलती व लापरवाही से बिना साबिक रकबा की गणना किये ही 03 एयर रकबा बढाते हुऐ 31 एयर दर्ज कर दिया गया। तथा प्रतिवादी सं0 3 लगा. 12 के खसरा नम्बर हाल 1233 रकबा 0.07 है0, 1234 रकबा 0.13 है0, 1235 रकबा 0.14 है0 का कुल रकबा साबिक खसरा नम्बर 893 मिन रकबा 1 बिघा 3 बिस्वा के मुताबिक 0.29 है0 कायम होना चाहिऐ था लेकिन बन्दोबस्त संवत 2042 मे बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियो द्वारा गलती व लापरवाही से बिना साबिक रकबा की गणना किये ही 05 एयर रकबा बढाते हुऐ 34 एयर दर्ज कर दिया गया तथा प्रतिवादी सं0 13 लगा. 28 के खसरा नम्बर हाल 1227 रकबा 0.08 है0, 1228 रकबा 0.12 है0, का कुल रकबा साबिक खसरा नम्बर 883 मिन रकबा 13 बिस्वा के मुताबिक 0.16 है0 कायम होना चाहिऐ था लेकिन बन्दोबस्त संवत 2042 मे बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियो द्वारा गलती व लापरवाही से बिना साबिक रकबा की गणना किये ही 04 एयर रकबा बढाते हुऐ कुल 20 एयर दर्ज कर दिया गया। इस प्रकर बन्दोबस्त संवत 2042 मे बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियो द्वारा गलती व लापरवाही से मिन वादी की आराजी का 11 एयर रकबा कम कर उसे प्रतिवादगण की आरांजी मे बैजा तोर पर शामिल कर दिया गया ।

मिन वादी व प्रतिवादीगण की आराजी आपस मे लगती हुई है और मौके पर मिन वादी व प्रतिवादीगण की आराजी का रकबा भी समान है लेकिन बन्दोबस्त संवत 2042 मे बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियो द्वारा बिना किसी आदेश के गलती व लापरवाही से आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकार्ड मे मिन वादी की आराजी का 11 एयर रकबा कम कर उसमे से 03 एयर रकबा प्रतिवादी सं0 1 व 2 के खातेदार नम्बर 1240 मे व 04 एयर रकबा प्रतिवादी सं0 3 लगा0 12 के खसरा नम्बर 1235 मे बैजा तोर पर शामिल कर दिया गया तथा 04 एयर रकवा प्रतिवादी सं0 13 लगा. 28 के खसरा नम्बर 1228 मे शामिल कर दिया गया। जवकि बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियो को ऐसा करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नही था । बन्दोबस्त विभाग द्वारा की गई गलती को मिन वादी दुरूस्त करवाकर तथा प्रतिवादीगण के खसरा नम्बरान मे से 11 एयर रकबा कम करवाकर मिन वादी के खसरा नम्बर का रकबा राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्त किया जाने की घोषणा फरमाई जावे एवं प्रतिवादीगण को हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाने की प्रार्थना की गई।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मत तलब किये गये। प्रतिवादीगण बावजूद तामिल नियत तारीख पेशी दिनांक 14.06.2023 को बार—बार अवाज लगाने पर असालतन या वकालतन न्यायालय मे उपस्थित नही होने पर प्रतिवादी सं0 1 लगा. 31 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई तथा पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियम की गई।

ण्ड अधिकारी
(कोटपूतली–बहरोड़)

वादी द्वारा अपने दावा के समर्थन मे दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे प्रदर्श– 1 लगा0 7 प्रदर्शित करवाये गये तथा मौखिक साक्ष्य के रूप मे पी.ड.–1 वादी छोटेलाल, पी.ड.–2 रूडारामपुत्र उमराव, पी.ड.–3 रामस्वरूप पुत्र भोलाराम के बयान शपथ पत्र पेश किये गये।

प्रतिवादीगण की एक तरफा कार्यवाही हो रही है। इसलिए प्रतिवादीगण की ओर कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किये गये। पत्रावली वास्ते बहस वादी, नियत की गई।

वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। वकील वादी द्वारा अपने दावा के तथ्यो को दोहराते हुऐ तर्क दिये कि वादी की आराजी का दौराने बन्दोबस्त 11 एयर रकबा कम कर दिया गया और उक्त 11 एयर रकबा को प्रतिवादीगण के खसरा नम्बरान मे शामिल कर दिया गया है। जबकि मौके पर वादी की आराजी का रकबा पूरा है। उक्त गलती बन्दोबस्त संवत 2042 मे बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियो द्वारा बिना किसी आदेश के की गई है। जिसे वादी दुरूस्त करवाकर अपनी आराजी का रकबा मौका एवं साबिक रिकार्ड के मुताबिक दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। वादी का वाद पत्रावली पर पेश दस्तावेजात एवं मौखिक साक्ष्य से पूर्ण रूप से साबित है इसलिए वादी के दावा को डिक्री फरमाया जावे ।

हमने वकील वादी की बहस पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात प्रदर्श–1 जमाबन्दी संवत 2074 एवं प्रदर्श सं0 3 मिलान क्षेत्रफल सं0 2042 के मुताबिक खसरा नम्बर 1239 रकबा 0.47 है0 का खातेदार वादी दर्ज रिकार्ड है जो साबिक खसरा नम्बर 891 रकबा 2 बिघा 6 बिस्वा से बनाया गया है। साबिक रकबा के मुताबिक खसरा नम्बर 1239 का रकबा करीब 58 एयर दर्ज होना चाहिऐ था जिसका रिकार्ड के मुताबिक 11 एयर रकबा कम दर्ज है तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 की खातेदारी के खसरा नं0 1240 का रकबा साबिक खसरा नम्बर 892 रकबा 1 बिघा 2 बिस्वा के मुताबिक 0.28 है0 कायम होना चाहिऐ था लेकिन 31 एयर दर्ज किया हुआ है जिसका 03 एयर रकबा अधिक है तथा प्रतिवादी सं0 3 लगा. 12 के खसरा नम्बर हाल 1233 रकबा 0.07 है0, 1234 रकबा 0.13 है0, 1235 रकबा 0.14 है0 का कुल रकबा साबिक खसरा नम्बर 893 मिन रकबा 1 बिघा 3 बिस्वा के मुताबिक 0.29 है0 कायम होना चाहिऐ था लेकिन 04 एयर रकबा बढाते हुऐ 34 एयर दर्ज कर दिया गया तथा प्रतिवादी सं0 13 लगा. 28 के खसरा नम्बर हाल 1227 रकबा 0.08 है0, 1228 रकबा 0.12 है0, का कुल रकबा साबिक खसरा नम्बर 883 मिन रकबा 13 बिस्वा के मुताबिक 0.16 है0 कायम होना चाहिऐ था लेंकिन 04 एयर रकबा बढाते हुऐ 20 एयर रकबा दर्ज किया हुआ है। वादी द्वारा पेश गवाहो ने भी अपने बयानो मे वादी की आराजी का रिकार्ड मे 11 एयर रकबा कम होने का कथन किया है तथा मौके पर साबिक रकबा के मुताबिक वादी काबिज होने की पुष्ठि की गई है। प्रतिवादीगण बाद तामिल न्यायालय मे उपस्थित नही आये एवं ना ही कोई दस्तावेजात या उजर पेश किया गया है। इसलिए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं मौखिक साक्ष्य के पूर्ण अवलोकन से वादी का वाद साबित होने के कारण, वादी का वाद डिक्री होने योग्य पाया जाता है।

:: आदेश ::

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

अतः वाद वादी, विरूद्ध प्रतिवादीगण एक पक्षीय इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी सं0 1 व 2 के खसरा नम्बर 1240 रकबा 0.31 है0 वाके ग्राम बीरनवास तह0 नीमराना मे से 03 एयर रकबा तथा प्रतिवादी सं0 3 लगा0 12 के खसरा नम्बर 1235 रकबा

0.14 है0 वाके ग्राम बीरनवास तह0 नीमराना मे से 04 एयर रकवा तथा प्रतिवादी सं0 13 लगा. 28 के खसरा नम्बर 128 रकवा 0.12 है0 वाके ग्राम बीरनवास तह0 नीमराना मे से 04 एयर रकवा कम किया जाकर,इसी कदर उक्त खसरा नम्बरान का रकवा कम किया जावे तथा कम किया हुआ रकवा 03+04+04 कुल 11एयर रकवा के खातेदार वादी को घोषित किया जाता है तथा उक्त 11 एयर रकवा को वादी के खसरा नम्बर 1239 वाके ग्राम बीरनवास तह0 नीमराना मे शामिल किया जाकर उसका रकवा 0.47 है0 के स्थान पर 0.58 हैक्टर दर्ज किया जाने की घोषणा की जाती है तथा इसी अनुसार हाल जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात एवं राजस्व नक्शा मे दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। इस निर्णय का राजस्व रिकार्ड मे अमल बैंक के रहन के बावजूद भी किया जा सकेगा। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर-दफतर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) 14-12-23

पंकज बड़गूजर

उपखण्ड अधिकारी (आर ए एस) नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी,नीमराना
(कोटपूतली–बहरोड) राज0

नोट:- निर्णय मे खसरा 128 के स्थान पर 1228 पढा जावे

(हस्ताक्षर) 04-03-2024

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

::पर्चा डिक्री::

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री पंकज बड़गुर्जर (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू :	निर्णय दिनांक 14.12.23
356 / 22	01.09.2022	

उनवान:

1. छोटेलाल पुत्र श्री भोलाराम जाति अहीर निवसी ग्राम बीरनवास तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0

बनाम .....वादी

1. शिवदत्त पुत्र कालू जाति अहीर
2. सत्यवीर पुत्र कालू जाति अहीर
3. अनुपसिंह पुत्र यादराम जाति अहीर
4. तरूण पुत्र इन्द्रजीत जाति अहीर
5. दीपक पुत्र इन्द्रजीत जाति अहीर प्रतिवादी सं0 4 व 5 नाबालिग जरिये सरपरस्त माता श्रीमती किरोस्ता देवी पत्नी इन्द्रजीत खुद
6. मंजीता पुत्री छाजुराम जाति अहीर
7. मनीषा पुत्री छाजुराम जाति अहीर
8. संदीप कुमार पुत्र छाजुराम जाति अहीर
9. यादराम पुत्र बीरबल जाति अहीर
10. ललीत कुमार पुत्र पवन कुमार जाति अहीर नाबालिग जरिये सरपरस्त माता श्रीमती कविता देवी पत्नी पवन कुमार खुद।
11. शेरसिंह पुत्र किशनलाल जाति अहीर
12. अंगूरी पत्नी श्री गंगादीन जाति ब्राहम्ण
13. कपिल शर्मा पुत्र रामनिवास पुत्र झुथर जाति ब्राहम्ण
14. ज्योति शर्मा पुत्री रामनिवास पुत्र झुथर जाति ब्राहम्ण
15. पवन शर्मा पुत्र रामनिवास पुत्र झुथर जाति ब्राहम्ण
16. मालती शर्मा पत्नी रामनिवास पुत्र झुथर जाति ब्राहम्ण
17. सुनील शर्मा पुत्ररामनिवास पुत्र झुथर जाति ब्राहम्ण
18. सत्यनारायण शर्मा पुत्र गंगादीन जाति ब्राहम्ण
19. ओमप्रकाश पुत्र झुथाराम जाति अहीर
20. रोहिताश्व पुत्र झुथाराम जाति अहीर
21. सीताराम पुत्र झुथाराम जाति अहीर
22. आशा पुत्री रामनिवास पुत्र झुथर जाति अहीर
23. मुकेश पुत्र गंगादीन जाति अहीर
24. रगवीर पुत्र मातादीन जाति ब्राहम्ण
25. रामौतार पुत्र मातादीन जाति ब्राहम्ण
26. राजाराम पुत्र गंगादीन जाति ब्राहम्ण सभी निवासी ग्राम बीरनवास तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
27. रतन पुत्र भीमसिंह जाति अहीर निवासी नयागांव बीबीरानी के पास तह0 कोटकासिम जिला खैरथल राज0 ।
28. चिरंजी पुत्र भीमसिंह जाति अहीर निवासी नयागांव बीबीरानी के पास तह0 कोटकासिम जिला खैरथल राज0 ।
29. उप पंजीयक महोदय नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
30. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड राज0।
31. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

.....प्रतिवादीगण

ड अधिकारी (कोटपूतली–बहरोड)

:: आदेश ::

अतः वाद वादी, विरूद्ध प्रतिवादीगण एक पक्षीय इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी सं0 1 व 2 के खसरा नम्बर 1240 रकबा 0.31 है0 वाके ग्राम बीरनवास तह0 नीमराना मे से 03 एयर रकबा तथा प्रतिवादी सं0 3 लगा0 12 के खसरा नम्बर 1235 रकबा 0.14 है0 वाके ग्राम बीरनवास तह0 नीमराना मे से 04 एयर रक़बा तथा प्रतिवादी सं0 13 लगा. 28 के खसरा नम्बर 128 रकबा 0.12 है0 वाके ग्राम बीरनवास तह0 नीमराना मे से 04 एयर रकबा कम किया जाकर,इसी कदर उक्त खसरा नम्बरान का रकबा कम किया जावे तथा कम किया हुआ रकबा 03+04+04 कुल 11एयर रकबा के खातेदार वादी को घोषित किया जाता है तथा उक्त 11 एयर रकबा को वादी के खसरा नम्बर 1239 वाके ग्राम बीरनवास तह0 नीमराना मे शामिल किया जाकर उसका रकबा 0.47 है0 के स्थान पर 0.58 हैक्टर दर्ज किया जाने की घोषणा की जाती है तथा इसी अनुसार हाल जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात एवं राजस्व नंक्शा मे दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। इस निर्णय का राजस्व रिकार्ड मे अमल बैंक के रहन के बावजूद भी किया जा सकेगा।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 14-12-23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई ।

14-12-23

पंकज बडगूजर

(आर.ए.एस)

उपखण्ड अधिकारी,नीमराना

(कोटपूतली–बहरोड) राज0

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

नोट:- डिक्री मे खसरा 128 के स्थान पर 1228 पढ़ा जावे

03-2024

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)